फर्म के लेटरपेड पर

प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई के द्वारा म.प्र.उद्योग संर्वधन नीति 2014 के प्रावधान अनुसार मंडी फीस से छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप।

कमांक / .... दिनांक

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड,
भोपाल।

विषयः— म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक डी—15—08—2016—चौदह—3 दिनांक 03.02.2016 के अन्तर्गत .... (फर्म का नाम एवं स्थान जहाँ संयंत्र स्थापित है) को मण्डी फीस से छूट देने बावत्।

महोदय,

फर्म / प्रोपराइटर / पार्टनरशीप / सहकारी / प्रायवेट लि. / कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय (पूरा पता..................) तथा संयंत्र (नाम एवं पूरा पता....................) पर स्थित है। इस आधुनिक संयंत्र / खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वाली खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माता इकाईयों के निर्माण की कुल लागत (राशि रूपये...................) है, जिसमें स्थायी पूंजी निवेश की राशि (रूपये....................) है। इस संयंत्र का उत्पादन दिनांक................. से प्रारम्भ होकर, इस संयंत्र मे (उत्पाद का नाम एवं दैनिक उत्पादन............. / वार्षिक उत्पादन मात्रा...................... है)। इस संयंत्र में उत्पादन के लिये अधिसूचित कृषि उपज (नाम.......................) कच्चे माल के रूप मे दैनिक............ एवं वार्षिक मात्रा) .... क्विंटल / मे.टन उपयोग होगा। यह कच्चामाल मध्यप्रदेश के अन्दर से / अन्य राज्यों से / दोनो क्षेत्रो से कय किया जायेगा। म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत प्रसंस्करण के लिये अनुज्ञप्ति कमांक............ दिनांक................ के लिये एवं व्यापार अनुज्ञप्ति कमांक .... दिनांक .... जिसकी प्रभावशील अवधि कमशः दिनांक... .... / दिनांक................. तक है। मण्डी समिति से देय कोई राशि बकाया नही है। इस बावत मण्डी समिति............ का प्रमाण पत्र दिनांक.............. है।

इस प्रसंस्करण संयंत्र को लगाने के लिये कच्चे माल पर मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 एवं वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओ को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अन्तर्गत उपलब्ध संविधाओ का लाभ प्रदान करने हेतु ''वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014'' एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओ को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओ का लाभ प्रदान करने हेतु ''मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहिन योजना 2014'' के अनुसार मण्डी फीस से छूट मिलने का प्रावधान है। सचिव, राज्य स्तरीय साधिकार समिति के द्वारा ''वृहद श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओ के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014'' के परिशिष्ट–12 के अनुसार या सचिव, जिला स्तरीय सहायता समिति के द्वारा ''मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2014'' के परिशिष्ट–09 के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

मध्यप्रदेश शासन की उपरोक्त दोनो नीतियो तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना कमांक डी–15–08–2016–चौदह–3 दिनांक 03.02.2016 मे वांछित दस्तावेज सूचि अनुसार संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि हमारे संयंत्र (नाम एवं पता..) मे कच्चे माल के उपयोग हेतु राज्य के अंदर से/राज्य के बाहर से/राज्य के अंदर एवं बाहर दोनो क्षेत्रो से कय की जाने वाली अधिसूचित कृषि उपज (नाम......................) पर मण्डी फीस से छूट प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्नः–दस्तावेजों की सूची

नोटः–आवेदन मे जो भी जानकारी आवेदक से संबंधित नही है उसे काट दे।

हस्ताक्षर

(अधिकृत व्यक्ति का नाम)

पदनाम एवं सील

कम्पनी का पूरा नाम

मंडी फीस छूट हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले सत्यापित दस्तावेजों की सूची

1	कृषि उपज मण्डी समिति से जारी प्ररूप–आठ मे थोक व्यापार तथा प्रसंस्करण की अनुज्ञप्ति।	
2	कृषि उपज मण्डी समिति से जारी नादेय (No-Dues) प्रमाण पत्र।	
3	संयंत्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन जारी मेमोरेन्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति।	
4	स्थाई पूंजी निवेश (संयंत्र एवं मशीनरी मे निवेश) के संबंध मे चार्टड एकाउन्टेट का प्रमाण पत्र।	
5	वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी प्रारूप–7 मे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/वेट पंजीयन प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारवर्त) नियम के अन्तर्गत प्रारूप–ख मे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।	
6	चीफ इन्सपेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के द्वारा म.प्र.फैक्ट्रीज रूल्स 1962 के रूल–5 के अंतर्गत फार्म–3 मे जारी फैक्ट्री लायसेंस की प्रति।	
7	मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग से पंजीयन की प्रति/उद्योग आधार पंजीयन की प्रति।	
8	स्थायी पूंजी निवेश, अधिसूचित कृषि उपज के उपयोग से उत्पादन की दैनिक और वार्षिक क्षमता, अधिसूचित कृषि उपज की कच्चेमाल की दैनिक एवं वार्षिक मात्रा की आवश्यकता की पुष्टि हेतु म.प्र. वाणिज्य, उद्योग व रोजगार विभाग का मूल प्रमाण पत्र।	
9	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को (जिन्हें मेगा/वृहद/मध्यम श्रेणी प्रोजेक्ट के रूप मे घोषित किया गया है) म.प्र. उद्योग संवर्धन नीति 2014 मे परिभाषित तथा अनुमोदित होने संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति।	
10	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यम की स्थापना हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी एकनालेजमेन्ट पार्ट–2 (यथा संशोधित 16.8.15) का प्रमाण पत्र।	
11	मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2014 के अन्तर्गत स्थापित संयंत्र के लिये एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना के परिशिष्ट–9 के अनुसार सचिव जिला स्तरीय सहायता समिति का प्रमाण पत्र।	
12	म.प्र.निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के अंतर्गत वृहद/मेगा खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिये भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (लेटर ऑफ इण्टेण्ट)/औद्योगिक लायसेंस/आई.ई.एम या राज्य शासन से ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र।	
13	खाद्य प्रसंस्करण नीति 2014 के अंतर्गत फल–सब्जी तथा फूलो हेतु स्थापित इकाई के लिये स्थायी पूंजी निवेश, उत्पादन की दैनिक/वार्षिक क्षमता, कच्चे माल फल, सब्जी, फूलों की मात्रा के संबंध मे उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्पाद एवं कच्चेमाल का निर्धारित प्रारूप मे प्रमाण पत्र और म.प्र. वाणिज्य, उद्योग व रोजगार विभाग का प्रमाण पत्र।	
14	किसी शासकीय विभाग से एम.ओ.यू. हुआ है तो उसकी प्रति।	